

7-04-18

अभिलेख उपर्युक्त । प्रथम पत्र
 क्रमांक 01, 02 उपर्युक्त अन्य अधिवक्ता
 हाजरी द्वितीय पत्र क्रमांक 02 उपर्युक्त
 क्रमांक 01 अनुपस्थित । उक्त वाद में
 6 (छः) माह की अवधि पूरी हो चुकी
 है अर्थात् वाद कालबाधित हो गया है।
 अतः वाद में अभिलेख की कारवाही बन्द
 की जाती है।

१
 21/4/18